

कर सकता है। उक्त अवचन स प्राथा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

### आदेश

प्रार्थी रोहिताश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

२५.९.२१

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,  
उदयपुरवाटी



निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२५.९.२१

(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,  
उदयपुरवाटी

